N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0134   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 01/06/2025 21:46 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 21/05/2025   Date To (दिनांक तक): 30/05/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 13:50 बजे   Time To (समय तक): 12:12 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 01/06/2025   Time (समय): 00:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002   Date & Time (दिनांक एवं समय) 01/06/2025 21:46:14 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 450 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

      (b)Address(पता): KARYALYA BAL VIKAS PARIYOJANA ADHIKARI, GOGUNDA JILA UDAIPUR

      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

      Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** KANCHAN DEVI
   (b) **Husband's Name (पति का नाम):** KARANMAL JI
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1977 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MADARA, GOGUNDA, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MADARA, GOGUNDA, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NOOTAN SHAH		पत्नी:JAYENDRA PANDYA	1. 30,GOKUKAL VILLAGE,SAVINA,UDAIPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, वाकियात मामला इस प्रकार निवेदन है कि ब्यूरो इकाई उदयपुर पर दिनांक 21.05.2025 को परिवादिया श्रीमती कंचनदेवी मय श्रीमती भंवर कुंवर के उपस्थित होकर एक स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आषक की पेष कि की "मैं कंचनदेवी पत्नी करणमल जी निवासी मादडा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर महिला एवं बाल विकास विभाग में गोगुन्दा की कुकडा खेडा आंगनवाडी की कार्यकर्ता हूं। मेरे साथ श्रीमती भंवर कुंवर पत्नी श्री भोपाल सिंह निवासी मादडा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर भी महिला एवं बाल विकास विभाग में गोगुन्दा क्षेत्र की बिलडिया आंगनवाडी की कार्यकर्ता है। मुझे और श्रीमती भंवर कुंवर जी विगत अक्टूम्बर 2024 से आज दिनांक तक मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में हमारे द्वारा कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर पर जाकर निरन्तर श्रीमती नुतन पण्डिया एकाउन्टेन्ड से सम्पर्क किया जा रहा है परन्तु उनके द्वारा कोई न कोई कारण बता कर हमारे मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। विगत तीन-चार दिन से नुतन पण्डिया एकाउन्टेन्ड द्वारा मुझे और श्रीमती भंवर कुंवर को आज दिनांक 21.05.2025 को प्रातः 11 बजे कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी जिला उदयपुर पर रिश्वत की राशि देने के लिये बुलाया था पर मैं और श्रीमती भंवर कुंवर नुतन पण्डिया एकाउन्टेन्ड को रिश्वत की राशि नहीं देना चाहते है और उन्हें रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहते हैं मेरा और श्रीमती भंवर कुंवर का नुतन पण्डिया एकाउन्टेन्ड बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर से कोई लेन-देन अथवा बकाया नहीं हैएवं न ही हमारी उनसे कोई रंजिष है अतः निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आवशक कानून कार्यवाही किये जाने का श्रम करें।" जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो उदयपुर द्वारा परिवादिया श्रीमती कंचनदेवी से मजीद पूछताछ की गई तो परिवादिया द्वारा उपरोक्त लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की ताईद करते अवगत करवाया कि मेरे साथ आई श्रीमती भंवर कंवुर भी गांव बिलडिया में आगंनवाडी कार्यकर्ता का कार्य कर रही है। हम दोनो को माह अक्टूम्बर 2024 से आज दिनांक तक मानदेय (वेतन) नहीं मिलने से हम दोनो कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर कार्यालय में गये जहां पर श्रीमती नुतन पण्डिया लेखाधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग गोगुन्दा जिला उदयपुर से मिली एवं उनको हम दोनो ने हमारे बकाया मानदेय हेतु निवेदन किया गया तो लेखाधिकारी श्रीमती नुतन पण्डिया द्वारा हम दोनो से अलग-अलग 4500-4500 रूपयों की रिश्वत राशि की मांग की गई एवं कहा गया कि यदि तुम 4500-4500 रूपये नहीं दोगी तो तुम्हारी नोकरी को भी खतरा है एवं तुम्हें मानदेय भी नहीं मिलेगा। हम उन श्रीमती नुतन पण्डिया लेखाधिकारी को 4500-4500 रूपये रिश्वत के रूप में नहीं देना चाहते है और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहते है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सह-परिवादिया भंवर कुंवर से पूछताछ की गई तो श्रीमती भंवर कंवर द्वारा भी परिवादिया श्रीमती कंचन देवी द्वारा बताये उपरोक्त तथ्यों की ताईद करते हुए लेखाधिकारी श्रीमती नुतन पण्डिया द्वारा हम दोनो से अलग-अलग 4500-4500 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जा रही है मैं श्रीमती नूतन पण्डिया लेखाधिकारी को रिश्वत राशि नहीं देना चाहती हूं और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने हेतु अवगत करवाया गया। परिवादिया श्रीमती कंचनदेवी की लिखित रिपोर्ट से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया गया। परिवादिया श्रीमती कंचनदेवी की लिखित रिपोर्ट को सह-परिवादिया श्रीमती भंवर कुंवर को पढकर सुना गया तो श्रीमती भंवर कुंवर द्वारा रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही होना स्वीकार किया जिस पर श्रीमती भंरव कुंवर के भी हस्ताक्षर कंचनदेवी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट पर करवाये गये एवं समय 2.20 पीएम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया एवं सह परिवादिया को ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाया जाकर मन्तव्य से अवगत करवाया गया एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाया गया तो परिवादिया एवं सह परिवादिया द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया गया कि आज तो गोगुन्दा पहुंचने में देर हो जायेगी और लेखाधिकारी श्रीमती नूतन पण्डिया जो उदयपुर में ही रहती है वो भी 4.00 बजे तक कार्यालय से निकल जाती है, जिनका कार्यालय में मिलना सम्भव नहीं होगा। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सुरेष जाट 424 एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में तलब किया गया एवं परिवादिया एवं सह-परिवादिया का आपस में परिचय करवाया गया एवं परिवादिया की लिखित रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही के क्रम में कार्यालय आलमारी में से ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर निकलवाया जाकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर के संचालन की विधि परिवादिया एवं सह-परिवादिया को भली भांती समझाई गई एवं एक नया रिक्त मैमोरी कार्ड मंगवाया जाकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर में श्री

सुरेष जाट कानि 424 से डलवाया गया एवं समय 2.59 पीएम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया एवं सह-परिवादिया को संदिग्ध लेखाधिकारी श्रीमती नूतन पण्डिया को कॉल करने हेतु श्रीमती कंचनदेवी को कहा गया तो श्रीमती कंचनदेवी ने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया गया कि लेखाधिकारी श्रीमती नूतन पण्डिया बहुत ही चतुर एवं चालाक है, वो नार्मल कॉल नहीं उठायेगी और फोन पर पैसों की बात भी नहीं करेगी। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध लेखाधिकारी की लोकेशन जानने हेतु परिवादिया श्रीमती कचंन देवी के मोबाईल नम्बर [redacted] से संदिग्ध लेखाधिकारी नूतन पण्डिया के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाट्सअप कॉल करवाया गया एवं परिवादिया के मोबाईल का स्पीकर ऑन करा वार्ता को प्रक्रियानुसार डिजिटल वॉईस रिकार्डर चालू कर रिकार्ड श्री सुरेश जाट कानि. से करवाई गई। वार्तानुसार संदिग्ध श्रीमती नूतन लेखाधिकारी द्वारा परिवादिया को अभी कार्यालय में कौन मिलता है, आने से मना कर दिया एवं सुबह 11.00 बजे अन्य 05 महिलायें जिनको मानदेय नहीं मिला उनको भी साथ में लेकर आने का कहा। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हर दोनो परिवादिया को अवगत करवाये सीधे संदिग्ध लेखाधिकारी को फोन नहीं करने एवं आगे से उसका फोन आये तो रिसीव नहीं करने की हिदायत दी गई तथा परिवादिया एवं सह-परिवादिया का श्री सुरेश जाट कानि 424 एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक का पुनः आपस में परिचय करा एक-दूसरे के मोबाईल नम्बर आपस में दिये जाकर कल दिनांक 22.05.2025 को गोगुन्दा कस्बे में रिष्वती राषि मांग सत्यापन वार्ता हेतु मिलने हेतु कहा गया तो परिवादिया एवं सह-परिवादिया द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया गया कि कल दिनांक 22.05.2025 को हमारे घर पर आवष्यक कार्य होने एवं बार-बार श्रीमती नूतन लेखधिकारी से सम्पर्क करने पर उसको शंका हो जायेगी। हम दोनो परसों दिनांक 23.05.2025 को सुबह 10.00 बजे गोगुन्दा हाईवे टोल नाके के कुछ पहले जहां से गोगुन्दा कस्बे में आने का रास्ता है उस रास्ते में मिल जायेगें। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया एवं सह-परिवादिया को मामले की गोपनियता बनाये रखने की मुनासिफ हिदायत के रूखसत दी गई एवं ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड लगा हुआ को श्री सुरेष जाट कानि. 424 से कार्यालय आलमारी में उसी अवस्था में रखवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 23.05.2025 समय 8.00 एएम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सुरेश जाट कानि 424 एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में तलब किया गया एवं कार्यालय आलमारी में दिनांक 21.05.2025 को रखवाया गया ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर श्री सुरेश जाट कानि. 424 से निकलवाया जाकर ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर श्री सुरेश जाट कानि. 424 को दिया जाकर मय श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक को कस्बा गोगुन्दा पहुंच परिवादिया एवं सह-परिवादिया से सम्पर्क रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाये जाने एवं आरोपिया के आम मोहरत पता करने हेतु रवाना किया गया। जिस पर समय 4.00 पीएम पर सुरेश जाट कानि 424 एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर श्री सुरेश जाट कानि. 424 ने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर देते हुए अवगत करवाया गया कि मैं व श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक दोनो ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय करीबन 9.30 एएम पर गोगुन्दा हाईवे टोल नाके के कुछ पहले गोगुन्दा कस्बे की तरफ आने वाली सडक पर पहुंचे जहंा पर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक ने परिवादिया श्रीमती कंचनदेवी के मोबाईल पर कॉल करवाया गया तो परिवादिया द्वारा अवगत करवाया गया कि मैं व भंवर कुंवर 11.30 बजे तक पहुंचेगें। जिस पर हम दोनो वहीं मुकिम होकर परिवादिया एवं सह-परिवादिया के आने का इन्तजार किया फिर समय करीबन 11.35 पर परिवादिया एवं सह-परिवादिया श्रीमती कंचनदेवी एवं श्रीमती भंवर कुंवर बस से हाईवे पर उतर कर हाईवे से गोगुन्दा कस्बे जाने वाली सडक पर पैदल-पैदल आ रही थी जिन्हें हम दोनो ने देखा एवं उन्हें आगे एकान्त में ले गये एवं मन् कानि. द्वारा परिवादिया एवं सह-परिवादिया को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर के संचालन की विधि पुन: समझाई गई एवं डिजिटल वॉईस रिकार्डर को द्वारा चालू कर परिवादिया श्रीमती कचंनदेवी को दिया । जिसे परिवादिया ने अपने पहने हुए कपडों में छुपाया एवं समय 11.43 एएम पर परिवादिया एवं सह-परिवादिया कंचनदेवी एवं भंवर कुंवर को कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर की ओर रवाना किया गया एवं मन् कानि. एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक भी परिवादिया एवं सह-परिवादिया के पीछे-पीछे अपनी उपस्थिति छुपाते हुए कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा के बाहर परिवादिया एवं सह-परिवादिया के आने के इन्तजार में मुकिम रहे। इसके लगभग 20 मिनट बाद परिवादिया एवं सह-परिवादिया कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा परिसर से बाहर आई जिस पर मैंने परिवादिया एवं सह-परिवादिया को पीछे-पीछे आने का ईषारा किया एवं मैं व लक्ष्मण सिंह दोनो कुछ दूर गये जहां सडक पर आवाजाही कम होने के कारण परिवादिया कंचनदेवी द्वारा डिजिटल वॉईस रिकार्ड अपने पहने हुए कपडों से निकाल कर चालू हालात में मुझे दिया जिसे मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा एवं चलते चलते ही परिवादिया एवं सह-परिवादिया से संदिग्ध के बारें में पूछा गया तो परिवादिया द्वारा अवगत करवाया गया कि हम दोनो रिकार्डर लेकर श्रीमती नुतन लेखाधिकारी के कार्यालय में गये जंहा पर उन्होने हम दोनो के माह अक्टूम्बर 2024 से आज दिनांक तक का मानदेय देने की एवज में 4500-4500 रूपये की मांग की जिस पर हम दोनो ने उनको 2000-2000 रूपये अलग-अलग दे दिये तथा उन्होंने शेष 2500-2500 रूपये मानदेय (तनखा) आने पर देने हेतु कहा और श्रीमती नुतन पण्डिया लेखाधिकारी ने हम दोनो की नोकरी में भी खतरा होना व शेष 05 आंगनवाडी

कार्यकर्ताओं को भी लेकर आने का कहा है। जिस पर मन् कानि. द्वारा परिवादिया एवं सह-परिवादिया को उनका मानदेय आते ही शेष रिश्वत राशि 2500-2500 रूपये लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने एवं संदिग्ध लेखाधिकारी का कॉल आने पर मन् कानि. अथवा श्रीमान को अवगत करवाने तथा मामले की गोपनियाता बरतने की हिदायत के वहीं से रूखसत किया एवं मन् कानि एवं श्री लक्ष्मणसिंह रवाना होकर श्रीमान के समक्ष उपस्थित आये हैं मैंने अपने स्तर से पता किया तो संदिग्ध का नाम श्रीमती नुतन शाह होकर इसका पद सहायक लेखाधिकारी कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर होना ज्ञात आया जिस पर समय 5.00 पीएम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चला कर सुना गया तो वार्ता के दौरान संदिग्ध श्रीमती नुतन शाह, सहायक लेखाधिकारी द्वारा परिवादियागण से 2000-2000 रूपये मांग कर ग्रहण करना तथा शेष रिश्वत राशि 2500-2500 रूपये वेतन (मानदेय) प्राप्त होने पर देने हेतु एवं दीगर शेष आंगनवाडी कार्यकर्ता को साथ लेकर आने का कहा गया। श्री सुरेश जाट कानि 424 द्वारा बताये उपरोक्त तथ्यों की ताईद हुई एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि हुई है। मामले हाजा में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जानी है किन्तु संदिग्ध श्रीमती नुतन शाह, सहायक लेखाधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर द्वारा रिश्वत राशि मानदेय प्राप्त होने के उपरान्त लाकर देने हेतु कहा गया है। संदिग्ध श्रीमती नुतन शाह, सहायक लेखाधिकारी काफी चालाक एवं चतुर है एवं परिवादियागण का मानदेय प्राप्त होने का उसको ज्ञान हो जायेगा ऐसी स्थिति में जल्दबाजी करने में संदिग्ध को शंका या भनक लगने की सम्भावना है। श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर इसी अवस्था में कार्यालय आलमारी में श्री सुरेष जाट कानि 424 से सुरक्षित रखवाया गया एवं श्री सुरेश जाट कानि 424 एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक को मामले की गोपनियता बरतने एवं परिवादियागण से सम्पर्क बनाये रखने एवं मानदेय आने पर तुरन्त श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाने की हिदायत दी गई। मामले हाजा में परिवादियागण के मानदेय प्राप्त होने तक कार्यवाही इसी स्तर पर लम्बित रखी गई। तत्पष्चात दिनांक 28.05.2025 समय 11.00 एएम पर परिवादिया श्रीमती कंचनदेवी द्वारा श्री सुरेश जाट कानि. से सम्पर्क कर अवगत करवाया गया है कि हमारे मानदेया प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु श्रीमती नुतन शाह, सहायक लेखाधिकारी कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर द्वारा जरिये वाट्सअप कॉल के मुझे बताया कि तुम और भंवर कुंवर दोनो शेष राशि लेकर आओगे तब ही तुम्हारा मानदेय तैयार होगा एवं शेष आंगनवाडी कार्यकर्ता को भी कार्यालय गोगुन्दा पर दिनांक 30.05.2025 को लाने हेतु कहा गया। मामले हाजा में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाना है अतः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सुरेश जाट कानि. 424 को परिवादिया एवं सह-परिवादिया को दिनांक 30.05.2025 को सुबह 8.30 एएम पर कार्यालय में मय संदिग्ध श्रीमती नूतन पण्डिया लेखाधिकारी को रिश्वत में दी जाने वाली शेष राशि साथ लेका कार्यालय उपस्थित होने हेतु पाबन्द करने के निर्देष दिये गये एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में 02 स्वतंत्र गवाहान की आवष्यकता होने से पत्र क्रमांक 1146 दिनांक 28.05.2025 सचिव उदयपुर विकास प्राधीकरण उदयपुर को दो स्वतंत्र गवाहान दिनांक 30.05.2025 को प्रातः 8.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर भिजवाये जाने हेतु निर्देषित किया एवं समय 11.30 पीएम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को कार्यालय में तलब किया गया एवं उपरोक्त कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया जाकर परिवादिया द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र एवं मामाले हाजा में अब तक की गई कार्यवाही का रनिंग नोट एवं ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देषित कर सुपुर्द किया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया श्रीमती कंचनदेवी का प्रार्थना पत्र मय रनिंग नोट एवं डिजिटल वॉईस रिकार्डर सुपुर्द कर अग्रिम ट्रैप कार्यवाही करने निर्देषित किया जाने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादिया द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट एवं रनिंग नो का अवलोकन किया गया एवं डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड में संरक्षित वार्ता दिनांक 21.05.2025 एवं दिनांक 23.05.2025 को सुना गया तो वार्तानुसार संदिग्ध श्रीमती नुतन शाह, सहायक लेखाधिकारी द्वारा रिष्वती राषि मांग की जाने की पुष्टि हुई है। मामले हाजा में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही दिनांक 30.05.2025 को की जानी है इस हेतु स्वतंत्र गवाहान श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा तलब किये जा चुके है। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सुरेष जाट कानि 424 को कार्यालय में तलब कर परिवादिया एवं सह-परिवादिया के बारे में पूछा गया तो श्री सुरेष जाट कानि. द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया गया है कि परिवादियागण से सम्पर्क कर लिया गया है वो दोनो रिश्वत राशि अपने साथ लेकर दिनांक 30.05.2025 प्रातः 8.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित हो जायेगी। मामले हाजा में अभी कोई कार्यवाही शेष नहीं आयन्दा दिनांक 30.05.2025 को अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। तत्पष्चात दिनांक 30.05.2025 समय 08.30 एएम पर दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित हुए जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान को कार्यालय कक्ष में बैठाया जाकर उनका परिचय पूछा गया तो दोनो ने अपना-अपना परिचय क्रमश बताया श्री मांगीलाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति मालवी उम्र 55 साल निवासी पोस्ट महुवाडा तहसील सराडा जिला सलूम्बर हाल निवासी सेक्टर नं. 05, मकान नं. 04, हिरणमगरी जिला उदयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उदयपुर विकास प्राधीकरण उदयपुर। मोबाईल नं. [redacted] एवं श्री हनुमान प्रसाद व्यास पुत्र श्री ओम प्रकाश व्यास जाति ब्राहमण उम्र 44 साल निवासी जैसलमेरियों की गली कमान नम्बर 01 नव चौकिया सिटी पुलिस थाना जोधपुर न्यू नवरत्न फ्लैट नं. 204, मंगल भूमि

रेजीडैन्सी महावीर कॉलोनी सुखेर उदयपुर, हाल कनिष्ठ अभियन्ता उदयपुर कार्यालय उदयपुर विकास प्राधीकरण उदयपुर। मोबाईल नं.[redacted] होनो बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हर दोनो गवाह को ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान उपस्थित रहने की स्वीकृति चाही जाने पर हर दोनो गवाहान अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसी दौरान तलबशुदा परिवादियागण श्रीमती कंचनदेवी एवं श्रीमती भंवर कुंवर कार्यालय में उपस्थित आई जिस पर मन् पुलिम निरीक्षक द्वारा परिवादियागण को स्वयं का परिचय देते हुए उनका परिचय उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पूछा गया तो हर दोनो ने अपना-अपना परिचय कंचनदेवी पत्नी करणमल जी निवासी मादडा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर एवं श्रीमती भंवर कुंवर पत्नी श्री भोपाल सिंह निवासी मादडा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर होना बताया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादियागण के समक्ष परिवादिया द्वारा दिनांक 21.05.2025 को प्रस्तुत लिखित षिकायत को पढ कर सुनाया गया तो परिवादिया कंचनदेवी द्वारा प्राथना पत्र शब्द ब शब्द सही होकर स्वयं हस्तलिखित होकर उस पर स्वयं एवं श्रीमती भंवर कुंवर के हस्ताक्षर होने का ताईद की एवं सह-परिवादिया श्रीमती भंवर कुंवर द्वारा उक्त लिखित प्रार्थना पर स्वयं के भी हस्ताक्षर होने की ताईद की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल वरिष्ठ सहायक एवं श्री हनुमान प्रसाद कनिष्ठ अभियन्ता उदयपुर कार्यालय उदयपुर विकास प्राधीकरण उदयपुर का परिवादियागण से आपस में परिचय करा कर अवगत करवाया गया कि यह दोनो सरकारी विभाग के कर्मचारीगण है जो अपनी ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहेगें एवं समय 09.00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सुरेश जाट कानि 424 को कार्यालय में तलब कर उपस्थितिन के समक्ष कार्यालय आलमारी में रखा गया डिजिटल वॉईस रिकार्डर को निकलावा कर उपस्थिति स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादियागण के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड में दिनांक 21.05.205 को हुई परिवादिया श्रीमती कंचनदेवी एवं संदिग्ध श्रीमती नुतन शाह, सहायक लेखाधिकारी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता एवं दिनांक 23.05.2025 को परिवादियागण श्रीमती कंचनदेवी एवं श्रीमती भंवर कुंवर के मध्य हुई आमने-सामने वार्ता संरक्षित है को चला कर सुनाया गया तो स्वतंत्र गवाहान द्वारा भी रिष्वत राषि मांग की पुष्टि की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादियागण के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय लेपटोप से श्री सुरेष जाट कानि. 424 से कनेक्ट करा दिनांक 21.05.2025 एवं दिनांक 23.05.2025 को हुई वार्ताओं को पृथक-पृथक चला कर वार्ताओं की पृथक-पृथक फर्द ट्रान्सक्रिप्टें शब्द ब शब्द तैयार की जाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर संलग्न पत्रावली की गई। समय 10.40 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल वरिष्ठ सहायक एवं श्री हनुमान प्रसाद कनिष्ठ अभियन्ता उदयपुर कार्यालय उदयपुर विकास प्राधीकरण उदयपुर के समक्ष परिवादियागण श्रीमती कंचनदेवी एवं श्रीमती भंवर कुंवर को संदिग्ध श्रीमती नुतन शाह, सहायक लेखाधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय को रिश्वती में दी जाने वाली रिश्वती राशि 2,500/- एवं 2500/- रूपये प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो परिवादिया श्रीमती भंवर कुंवर ने अपने पास से 500-500 रूपये के 05 नोट कुल 2500/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं श्रीमती कचंनदेवी ने अपने पास से 100-100 के 05 नोटों एवं 500-500 रूपये के 04 नोट इस प्रकार कुल 2500/- रूपये भारतीय चलन मुद्र के पेश किये। परिवादियागण द्वारा श्रीमती कंचन देवी एवं श्रीमती भंवर कुंवर द्वारा पेश किये गये समस्त नोटों पर श्री गजाराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी से कार्यालय में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर कार्यालय मे टेबल पर अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटों के दोनो ओर पृथक-पृथक फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। संदिग्ध संदिग्ध श्रीमती नुतन शाह, सहायक लेखाधिकारी को देने के लिए परिवादिया के श्रीमती कंचनदेवी के पर्स की आगे वाली जेब को स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल वरिष्ठ सहायक से चेक करा जेब में कुछ नहीं रहते हुए नोटो को श्री गजाराम सहाय प्रषासनिक अधिकारी से रखवाये गये इसी प्रकार परिवादिया श्रीमती भंवर कुंवर के पर्स की आगे की जेब को स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल वरिष्ठ सहायक से ही चेक करा जेब में कुछ नहीं रहते हुए नोटो को श्री गजाराम सहाय प्रशासनिक अधिकारी से रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री अशोक कानि. 07 से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादिया को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री गजाराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि संदिग्ध परिवादियागण से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेंगी तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री गजाराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री गजाराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी से ही कार्यालय में सुरक्षित रखवाई गई तथा परिवादियागण को यह भी हिदायत दी गई कि वह संदिग्ध के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी

अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादियागण को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादियागण एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादियागण को यह हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि दे चुकने के बाद कार्यालय से बाहर आकर मन् पुलिस निरीक्षक एवं ब्यूरो जाब्ते को देखकर अपने दाहिने हाथ को उपर करने का गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री गुलाबसिंह हैडकानि. 121 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों व दोनो गवाहान तथा परिवादियागण का आपस में परिचय करवाया गया तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादियागण तथा संदिग्ध के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादियागण को हिदायत दी गई कि रिश्वत् राशि के लेन-देन के वक्त संदिग्ध से होने वाली वार्तालाप को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकॉर्ड करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। गजाराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई। फिर समय 11.15 एएम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल एवं श्री हनुमान प्रसाद, परिवादियागण एवं ब्यूरो जाब्ता श्री सुरेष जाट कानि 424, श्री गुलाबसिंह हैडकानि 121, श्रीमती प्रियन्का मकानि 317, श्री मांगीलाल कानि. 215 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोन, प्रिन्टर डिजिटल वॉईस रिकार्डर एवं आवाष्यक संषाधन के रवाना हुआ एवं आगे-आगे सरकारी वाहन से श्री मुनीर मोह., श्री गजेन्द्र गुर्जर सहायक उप निरीक्षक, श्री पुष्करलाल हैडकानि 120, श्री अषोक कुमार कानि. 07 एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक एवं को सरकारी वाहन बोलेरो नं आरजे 14. यूएल 5807 के कस्बा गोगुन्दा की ओर रवाना हुए जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान टेक्सी वाहन से एवं दीगर जाब्तो सरकारी वाहन से ब्यूरो इकाई उदयपुर से रवानाशुदा समय करीबन 11.55 एएम पर कस्बा गोगुन्दा से कुछ पहले हाईवे पर पहुंचे जहां पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा वाहनों को एक साईड में खडा करवाया गया एवं परिवादिया श्रीमती कंचनदेवी को ब्यूरो का डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू कर संदिग्ध से होने वाली वार्ता रिकार्ड करने की हिदायत के सुपुर्द किया गया एवं दोनो परिवादियागण को आवष्यक हिदायत देकर कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा के लिये रिश्वत राशि देने हेतु समय करीबन 12.04 पीएम पर रवाना किया गया एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता भी परिवादियागण के पीछे-पीछे अपनी अपनी उपस्थिति छुपाये हुए परिवादियागण के निर्धारित इशारे के इन्तजार में खडे रहे थे कि समय करीबन 12.12 पीएम पर श्रीमती भंवर कुंवर द्वारा कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर के मेन गेट के बाहर आकर रिष्वत राषि स्वीकारोक्ती का पूर्व निर्धारित ईषारा किया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक एवं स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ते द्वारा देखा जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान तेज-तेज कदमों से कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर में प्रवेष किया। जहां पर श्रीमती भंवर कुंवर द्वारा गेट के सामने वाले कमरे की ओर ईषारा कर मन् पुलिस निरीक्षक को स्वतंगत्र गवाहान के समक्ष अवगत करवाया गया कि इसी कमरे में श्रीमती नुतन शाह सहायक लेखाधिकारी बैठी हुई है जिस पर परिवादिया श्रीमती भंवरी कुंवर के साथ मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ते ने उक्त कमरे जिसके दरवाजे के उपर पोषण अभियान लिखा हुआ में प्रवेष किया तो परिवादिया श्रीमती कंचनदेवी ने ब्यूरो का डिजिटल वॉइस रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को पेष किया जिसे बन्द कर अपने पास रखा तदउपरान्त श्रीमती भंवर कुंवर ने मन् पुलिस निरीक्षक को हमराहियान के समक्ष टेबल कुर्सी पर बैठी हुई महिला की ओर इशारे किया यही श्रीमती नुतन शाह है जिसने अभी अभी मुझसे एवं श्रीमती कंचनदेवी से हमारे माह अक्टूम्बर 2024 से आज दिनांक तक का वेतन तैयार करने की एवज में शेष रिश्वत राशि 2500-2500 रूपये हम दोनो से अलग-अलग ग्रहण कर अपने हाथो से गिनकर अपने पहने हुए कपडे में रखी है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपिया श्रीमती नुतन शाह को अपना एवं हमराहियान को परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर उसका परिचय पूछा गया तो उसने अपना नाम श्रीमती नुतन शाह पत्नी श्री जयेन्द्र पण्ड्या उम्र 48 साल निवासी गांव द्वारकाधीश मन्दिर के सामने सीमलवाडा, थाना सीमलवाडा जिला डूंगरपुर हाल निवासी मकान नं. 30, गोकुल विलेज थाना सविना जिला उदयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर होना बताया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपिया श्रीमती नुतन शाह को सामने खडी हुई परिवादियागण श्रीमती कंचनदेवी एवं श्रीमती भंवर कुंवर के बारे में पूछा गया तो आरोपिया श्रीमती नुतन शाह द्वारा उपस्थितिन के समक्ष अवगत करवाया गया कि श्रीमती कंचनदेवी आंगनवाडी केन्द्र कुकडा खेडा एवं श्रीमती भंवर कुंवर आंगनवाडी केन्द्र बिलडिया की आंगनवाडी कार्यकर्ता है, दोनो के रिकार्ड में जन्म दिनांक सही नहीं होने से दोनो का माह अक्टुम्बर 2024 मे आज तक का वेतन नहीं मिलने मे कार्यालय में आई हैं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपिया श्रीमती नुतन शाह को परिवादियागण मे ग्रहण की गई राशि किस बात कार्य के लिये ग्रहण की गई पूछा गया तो आरोपिया कुछ नहीं बोल कर मौन हो गई। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा

आरोपिया श्रीमती नुतन शाह से ग्रहण की गई रिष्वत राषि कहां रखी गई पूछा गया तो आरोपिया द्वारा उपस्थितिन के समक्ष रिश्वत राशि अपने पहने हुए अन्तर वस्त्र (ब्रा) में मे हल्का सा बायीं ओर होकर निकालकर पेश की जो राशि स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल वरिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित उसी अवस्था में सम्भलाई गई। अग्रिम कार्य के क्रम में आरोपिया श्रीमती नुतन शाह सहायक लेखाधिकारी के हाथों का धोवन लिया जाना अवाष्यक होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादियागण एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से टेक्सी वाहन में रखे ट्रैप बॉक्स मंगवाया जाकर ट्रैप बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलवाकर कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा में रखे केम्पर में से पानी की बोतल प्रियंका महिला कानि. से मंगवाया जाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपिया श्रीमती नुतन शाह सहायक लेखाधिकारी के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर सीलचिट श्री गुलाबसिंह हैडकानि. 121 से कराये जाकर मार्क RHरहता RHRH 1 व RH 2 अंकित किया। चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपिया श्रीमती नुतन शाह सहायक लेखाधिकारी के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर सीलचिट श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से कराये जाकर मार्क LH1 व LH 2 अंकित किया। चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् आरोपिया श्रीमती नुतन शाह सहायक लेखाधिकारी द्वारा ग्रहण की गई रिष्वती राषि मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल वरिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवाये गये जो रिष्वती राषि को स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल से निकलवाई जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो कुल 5000/- रूपये होकर इसमें 100-100 रूपये के 05 एवं 500-500 के 9 नोट कुल 5000/- होनो पाई उक्त बरामद षुदा राषि का मिलान पूर्व में मुर्तिब शुदा फर्द पेषकषी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो से करवाया गया जिनका नोटो के नम्बरों विवरण निम्नानुसार हैं- 1परिवादिया श्रीमति कंचनदेवी ने पेश किये नोटो का विवरण 1 एक नोट 100 रूपये का नम्बरी 8VD 987139 2 एक नोट 100 रूपये का नम्बरी 8VD 987140 3 एक नोट 100 रूपये का नम्बरी 8VD 987142 4 एक नोट 100 रूपये का नम्बरी 8VD 987141 5 एक नोट 100 रूपये का नम्बरी 8VD 987143 6 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 3SR 877654 7 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 7TF 705259 8 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 6QL 423901 9 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 7RA 690550 2 परिवादिया श्रीमति भंवर कुवर ने पेश किये नोटो का विवरण 1 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 5DV 809132 2 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9NG 946663 3 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 5BC 626769 4 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 0BF 566617 5 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 5AE 235307 उपरोक्त नोटो के नम्बरों का मिलान हु ब हु होने से उक्त बारामद शुदा राषि के नोटो को उपस्थिति के समक्ष ही मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से पृथक-पृथक सीलचिट कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इस समय मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा में पदस्थापित श्रीमती प्रतीभा तेली महिला सुपरवाईजर को निर्देषित किया गया कि आरोपिया श्रीमती नुतन शाह के अन्तःवस्त्र जहां से रिष्वत राषि बरामद हुई जिसे बारामद करना अवष्यक होने से श्रीमती प्रतिभा तेली को नया अन्तःवस्त्र क्रय लाकर पेष करने की हिदायत दी गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपिया श्रीमती नुतन शाह सहायक लेखाधिकारी को उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्रीमती कंचनदेवी एवं श्रीमती भंवर कुंवर अंगनवाडी कार्यकर्ता के माह अक्टूम्बर 2024 से आज दिनांक तक वेतन नहीं बनाये जाने के बारे में पूछा गया तो आरोपिया द्वारा बताया गया कि राजपोषण में इनका डाटा अलग होने मिलान नहीं होने के कारण नहीं बना था। इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 105 दिनांक 23.04.2025 प्रबन्धक राजपोषण सॉफटवेयर निदेषक ममेकित बाल विकास सेवायें जयपुर को भिजवाया गया है वहीं से अब कार्य लम्बित हैं। आंगनवाडी कार्यकर्ता के डाटा मिस-मेच होने के कारण उनका मानदेय नहीं बनाया गया। आरोपिया श्रीमती नुतन शाह को परिवादियागण से दिनांक 23.05.2025 एवं आज लिये गये रिष्वत के रूपयों के बारे में पूछा गता तो आरोपिया कुछ नहीं बोल मौन हो गई। । इस समय श्रीमती प्रतिभा तेली महिला पर्यवेक्षक निर्देषानुसार महिला का अन्तःवस्त्र लाकर मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया गया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपिया श्रीमती नुतन शाह को उसके कार्यालय कक्ष में मय महिला कानि. प्रियन्का के अन्तःवस्त्र बदलने हेतु कहा जाने पर महिला कानि. प्रियन्का द्वारा आरोपिया का अन्तःवस्त्र ससम्मान उतवाकर नया अन्तःवस्त्र पहनाया जाकर पूराना अन्तःवस्त्र लाई जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादियागण के समक्ष ट्रेप बॉक्य में से एक नया प्लास्टिक का डिस्पोजल गिलास मंगवाया जाकर उक्त गिलास में कार्यालय बाल विसा परियोजना अधिकारी गोगुन्दा में रखे केम्पर में से साफ पानी भरवाया जाकर उसमें श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से ही एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा उक्त रंगहीन घोल में स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादिया के समक्ष प्रियन्का म. कानि. मे आरोपिया का अन्तःवस्त्र (ब्रा) को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थितिन ने भी स्वीकार किया। जिसे कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर सीलचिट श्री गुलाबसिंह हैडकानि. 121

मे कराये जाकर मार्क B.1 व B.2 अंकित किया एवं उक्त अन्तःवस्त्र (ब्रा) को भी सफेद कपडे की थैली में रखवा सीलचिट करवा मार्क B अंकित करा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। उक्त कार्यवाही की ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग कानि. श्री सुरेष जाट कानि 424 द्वारा ब्यूरो के सोनी कम्पनी में नया रिक्त सेन डिस्क 64 जीबी मैमोरी कार्ड डलवाया जाकर विडियों रिकार्डिंग करवाई गई। फर्द हाथ धुलाई सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं फिनोल्फ्थलीन पाउडर एवं बरामदगी रिश्वती राशि मुर्तिब की जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये गये फिर समय 02.10 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर में उपस्थित श्रीमती प्रतिभा तेली महिला पर्यवेक्षक को परिवादियागण श्रीमती कंचनदेवी एवं श्रीमती भंवर कुंवर के वेतन एवं पदस्थापन से सम्बन्धित दस्तावेज के बारे में पूछा गया तो श्रीमती प्रतिभा तेली महिला पर्यवेक्षक द्वारा अवगत करवाया गया कि आंगनवाडी कार्यकर्ता श्रीमती कंचनदेवी एवं श्रीमती भंवर कुंवर के आंगनवाडी कार्यकर्ता के रूप में कब से कार्य कर रहे है इसका रिकार्ड कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गागुन्दा जिला में उपलब्ध नहीं है। कार्यालय में उपलब्ध बिल बाउचर के अनुसार इनका वेतन इस कार्यालय से 01 अप्रेल 2007 से मानदेय भुगतान नियमानुसार बन रहा हैं। माह अक्टुम्बर 2024 में श्रीमती कंचनदेवी एवं श्रीमती भंवर कुंवर के आंगनवाडी कार्यकर्ता के बैंक के आईएफएससी नम्बर SBIN0013556 थे जो माह अक्टुम्बर 2024 में बदल कर SBIN0031219 हो जाने से कार्यालय निदेषक समेकित बाल विकास सेवायें जयपुर के आदेश क्रमांक 171262 दिनांक 14.12.2021 द्वारा राजपोशण सोफ्ट वेयर पर संशोधन के लिये दस्तावेजों एवं उप निदेषक कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय को आदेष जारी हुए जिसके तहत बाल विकास परियोजाना कार्यालय को निर्देषित किया गया नियुक्ति पत्र/कार्यादेष में अंकित जन्म दिनांक के आधार पर, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक षिक्षा बोर्ड की अंक तालिका/प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथी के आधार पर जन्म संशोधन अधिकार सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी पर होगें वे संशोधन आदेश की प्रति मानदेय कर्मी के स्व हस्ताक्षरित अभिलेख प्रति के साथ इसे जिला उप निदेषक व उप निदेषक (एसीपी) को सूचनार्थ प्रेषित करेंगे। राजपोषण पर सुविध विकसितत होने पर यह दस्तावेज वहां उपलोड भी होगा। जिस पर कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 1659 दिनांक 11.11.2024 श्रीमान उपनिदेषक, महिला एवं बाल विकास विभाग उदयपुर को जन्म दिनांक में संषोधन करने हेतु अपने स्तर पर अनुमानित सही कार्यग्रहण तिथी अंकित कर भिजवाया गया। इसके बाद इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 105 दिनांक 23.04.2025 द्वारा प्रबन्धक राजपोशण सॉफटवेयर निदेषक समेकित बाल विकास सेवायें जयपुर को आंगनवाडा कार्यकर्ता के आईएफएससी नम्बर अपलोड हेतु लिख गया है। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर द्वारा श्रीमती कंचनदेवी एवं श्रीमती भंवर कुंवर को माह अक्टुम्बर 2024 से आज दिनांक तक को मानदेय का विगत 08 माह का भुगतान इस कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है। श्रीमती प्रतीभा तेली महिला पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर कर संलग्न पत्रावली किये गयें एवं समय 02.40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादिया एवं स्वंत्रत गवाहान एवं आरोपिया श्रीमती नुतन शाह सहायक लेखाधिकारी कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा के समक्ष आरोपिया श्रीमती नुतन शाह सहायक लेखाधिकारी की परिवादियागण श्रीमती कंचनदेवी एवं श्रीमती भंवर कुंवर आज 30.05.2025 हुई रिश्वत राशि लेन देन वक्त हुई वार्ता जो कि ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कानि. श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ट सहायक से लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त वार्ता को सुनाई जाकर वार्ता की शब्द व शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। उक्त वार्ता में परिवादियागण श्रीमती कंचन देवी एवं श्रीमती भंवर कुंवर ने एक-एक आवाज अपनी स्वयं की तथा एक आवाज आरोपिया श्रीमती नुतन शाह सहायक लेखाधिकारी ने अपनी होने की ताईद की एवं समय 3.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मय मेमोरी कार्ड किंग्स्टन कम्पनी का 32ळठ के सरकारी लेपटॉप से श्री सुरेश कुमार कानि. 424 से कनेक्ट करा उसमें संरक्षित वार्तायें दिनांक 21.05.2025, 23.05.2025 एवं दिनांक 30.05.2025 को परिवादियागण श्रीमती कंचनदेवी एवं श्रीमती भंवर कुंवर एवं आरोपिया श्रीमती नुतन शाह सहायक लेखाधिकारी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन, मोबाईल एवं रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की 03 पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पेनड्राईव पर मूल तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव किंग्स्टन कम्पनी का 32GB बरंग काला को पेन ड्राईव कवर में रखकर कवर पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थेली में रखवाकर सफेद कपड़े की थेली पर सीलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव किंग्स्टन कम्पनी का 32GB बरंग काला को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा जाकर जरिये फर्द जब्त किया गया फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं समय 3.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादियागण एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी लेपटॉप से कनेक्टशुदा को श्री सुरेश जाट कानि. 424 से ही संरक्षित वार्तायें दिनांक 21.05.2025, 23.05.2025 एवं दिनांक 30.05.2025 परिवादियागण श्रीमती कंचनदेवी एवं श्रीमती भंवर कुंवर एवं आरोपिया श्रीमती नुतन शाह सहायक लेखाधिकारी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन, मोबाईल एवं रिश्वत राशि लेन-देन वार्तायें संरक्षित है। मेमोरी कार्ड में संरक्षितशुदा सम्पूर्ण वार्ताओं की हेश

वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया जो किन्गस्टन कम्पनी का 32GB बरंग काला है, उक्त मूल मेमोरी कार्ड को उसके कवर में रखकर कवर पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त कवर मय मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क M दिया गया फिर समय 3.45. पीएम पर आरोपिया श्रीमती नुतन शाह सहायक लेखाधिकारी कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर की दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री सुरेष जाट कानि 424 के द्वारा ब्यूरो के वीडियों केमरा जिसमें प्रयुक्त मेमोरी कार्ड sandisk 64GB डलवाया जाकर दौराने ट्रेप कार्यवाही उक्त वीडियों केमरा मे ऑडियो/वीडियोग्राफी करवाई गई। जिसमें बरामदगी रिश्वती राशि एवं सीलचिट आर्टिकल की रिकॉर्डिंग की गई थीं। उक्त वीडियो केमरा में प्रयुक्त मैमेारी कार्ड को वीडियों केमरे से निकलवाकर श्री सुरेश कुमार कानि. 424 से लेपटोप से कनेक्ट करा कर Sandisk 16 GB एक पेनड्राईव में कोपी करवाया गया एवं पेन ड्राईव को जरिये फर्द जब्ती के जब्त किया जाकर पेन ड्राईव कवर में रख कर कपडे की थैली में सीलचिट बन्द करवाया जाकर मार्क- P1 अंकित किया। तत्पश्चात् कानि. श्री सुरेश कुमार द्वारा मूल मेमोरी कोर्ड को लेपटोप से निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को ममोरी कार्ड कवर में रखकर कवर पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त कवर मय मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर थैली सीलचिट करवा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क M1 अंकित किया जाकर जरिये फर्द वजह सबूत जब्त किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं समय 4.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादिया श्रीमती कंचनदेवी एवं श्रीमती भंवर कुंवर की निशादेही पर उपस्थित स्वतंत्र गवाह के समक्ष घटनास्थल का फर्द नक्शा मौका मुर्तिब किया जाकर संम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर संलग्न पत्रावली किया एवं समय 4.45 पीएम पर आरोपिया श्रीमती नुतन शाह सहायक लेखाधिकारी को पत्र क्रमांक एसपीएल-01 एवं एसपीएल-02 आरोपिया के आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु जारी किया गया तो आरोपिया ने इन्ही पत्रों पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है एवं अपना स्पष्टीकरण बाद में अधिवक्ता से राय लेकर बाद में पेश कर दूंगी अंकित कर पुनः दिये उक्त पत्र पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये फिर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपिया श्रीमती नुतन शाह को अवगत करवाया गया कि आपके विरूद्ध परिवादिया श्रीमती कंचनदेवी एवं श्रीमती भंवर कुंवर द्वारा ब्यूरो में दिनांक 21.05.2025 को रिश्वत राशि 4500-4500 रूपये मांग करने की शिकायत की गई जिस पर आप द्वारा दिनांक 23.05.2025 को वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान परिवादिया श्रीमती कंचनदेवी एवं श्रीमती भंवर कुंवर से 4500-4500 रूपये की मांग करना एवं उसी समय 2000-2000 रूपये मांग कर ग्रहण किये जो कि रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से प्रमाणित है तथा आज दिनांक को आप द्वारा शेष रिश्वत राशि 2500-2500 रूपये मांग कर ग्रहण कर अपने दोनो हाथों से गिनकर अपने अन्तःवस्त्र में रखे जो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आप द्वारा अन्तःवस्त्र से निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिस पर मौके पर ही स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आपके दोनो हाथों के अंगुलियां एवं अंगुठे तथा रिश्वत राशि बरामदगी स्थल आपके अन्तःवस्त्र के धोवन के घोल लिये गये जिन धोवन के घोलों का रंग गुलाबी एवं हल्का गुलाबी होना तथा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं लेन-देन से स्पष्ट हैकि आप द्वारा परिवादियागण से उसके वेतन बनाने की एवज में रिश्वत राशि ग्रहण करना प्रमाणित पाया है जो जुर्म धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करने के पूर्ण साक्ष्य होने से आरोपिया श्रीमती नुतन शाह पत्नी श्री जयेन्द्र पण्ड्या उम्र 48 साल निवासी गांव द्वारकाधीष मन्दिर के सामने सीमलवाडा, थाना सीमलवाडा जिला डूंगरपुर हाल निवासी मकान नं. 30, गोकुल विलेज थाना सविना जिला उदयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर के विरूद्ध धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रमाणित पाया जाने पर बीएनएसएस के प्रावधानुसार गिरफ्तार किया गया एवं समय 7.30 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक नरपतसिह मय हैडकानि गुलाबसिह नम्बर 121 कानि. मांगीलाल नम्बर 215, सुरेष कानि. 424, महिला कानि प्रियंका नम्बर 317 स्वतन्त्र गवाहान श्री मांगीलाल, श्री हुनमान प्रसाद व्यास मय गिरफ्तार शुदा आरोपिया श्रीमती नूतन शाह मय ट्रैप बॉक्स, लेपटांप, प्रिन्टर मालखाना आर्टिकल्स जप्तशुदा रिश्वत राशि वाहन सरकारी बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूएल 5807 मय चालक के गोगुन्दा से रवाना होकर ब्यूरो चौकी उदयपुर पर पहुंचा तथा सरकारी वाहन से श्री मुनीर मोहम्मद गजेन्द्र एएसआई पुष्करलाल हैडकानि, लक्ष्मणसिह कनिष्ठ सहायक भी रवाना षुदा उपस्थित आये जहां पर मन् निरीक्षक पुलिस नरपतसिह मय गिरफ्ताशुदा आरोपिया श्रीमती नूतन शाह मय महिला कानि. प्रियन्का नम्बर 317 कानि मांगीलाल नम्बर 215 व हैडकानि गुलाबसिह जरिये सरकारी जीप के महाराणा भूपाल राजकीय हॉस्पील से स्वास्थ्य परीक्षण करा रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं आरोपिया को सुरक्षा की दृष्टि से आरोपिया को थाना भुपालपुरा की हवालात में दाखिल करवाया गया। तत्पष्चात दिनांक दिनांक 31.05.2025 समय 9.00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ता श्री गुलाबसिंह हैडकानि., श्री मांगीलाल कानि. एवं श्रीमती प्रियन्का म.कानि. को मय सरकारी वाहन से आरोपिया श्रीमती नुतन शाह को थाना भुपालपरा से प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हुए एवं समय समय 10.41 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मामले हाजा में गिरफ्तार शुदा आरोपिया श्रीमती नूतन शाह सहायक लेखाधिकारी, का 15 योम जे.से. रिमाण्ड मूर्तिब किया जाकर माननीय विषिष्ट न्यायाधीष महोदय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्र.स. 01 उदयपुर के समक्ष मय जे.सी. रिमाण्ड पेष

करने पर माननीय न्यायालय द्वारा जे.सी. रिमाण्ड स्वीकृत करने पर केन्द्रीय कारागृह में जमा करवाया जाकर जमा रसीद प्राप्त की गई। इस प्रकार उपरोक्त समस्त कार्यवाही से पाया गया कि आरोपिया श्रीमती नुतन शाह पत्नी श्री जयेन्द्र पण्ड्या उम्र 48 साल निवासी गांव द्वारकाधीष मन्दिर के सामने सीमलवाडा, थाना सीमलवाडा जिला डूंगरपुर हाल निवासी मकान नं. 30, गोकुल विलेज थाना सविना जिला उदयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादिया श्रीमती कंचनदेवी एवं श्रीमती भंवर कुंवर द्वारा ब्यूरो में दिनांक 21.05.2025 को रिश्वत राशि 4500-4500 रूपये मांग करने की शिकायत की गई जिस पर दिनांक 23.05.2025 को वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान परिवादियागण श्रीमती कंचनदेवी एवं श्रीमत्ती भंवर कुंवर से 4500-4500 रूपये की मांग करना एवं उसी समय 2000-2000 रूपये मांग कर ग्रहण किये जो कि रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से प्रमाणित है तथा दिनांक 30.05.2025 को शेष रिश्वत राशि 2500-2500 रूपये मांग कर ग्रहण कर अपने दोनो हाथों से गिनकर अपने अन्तःवस्त्र में रखे जो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अन्तःवस्त्र से निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिस पर मौके पर ही स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपिया के दोनो हाथों के अंगुलियां एवं अंगुठे तथा रिश्वत राशि बरामदगी स्थल आपके अन्तःवस्त्र के धोवन के घोल लिये गये जिन धोवन के घोलों का रंग गुलाबी एवं हल्का गुलाबी होना तथा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं लेन-देन से परिवादियागण से उनके बकाया वेतन माह अक्टुम्बर 2024 से आज दिनांक तक का बनाने की एवज में रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण किये जो जुर्म धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने से प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन करवाये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित हैं। भवदीय, (नरपत सिंह) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर......................कार्यवाही पुलिस................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपत सिंह पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती नूतन शाह पत्नी श्री जयेन्द्र पण्ड्या उम्र 48 साल निवासी गांव द्वारकाधीष मन्दिर के सामने सीमलवाडा, थाना सीमलवाडा जिला डूंगरपुर हाल निवासी मकान नं. 30, गोकुल विलेज थाना सविना जिला उदयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री लक्ष्मण लाल डांगी पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम रपट संख्या 584 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 779-82 दिनांक 01.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर, 2.निदेशालय, कोष एवं लेखा, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** LAKSHMAN LAL DANGI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/06/2025 21:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	23/11/1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)